आभार

लघुशोध कार्य की संपूर्णता तक पहुंचाने के संरचनात्मक क्रियाविधि एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है लघुशोध कार्य का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जहां दूसरों के दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन एवं सहयोग की भावना नगण्य हो, और यह लघुशोध कार्य भी इससे अछूता नहीं है।

मै अपने शोध निर्देशक प्रो. शंभु गुप्त की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे शोध विषयक सकारात्मक सुझाव दिए और समय-समय पर विषय संबंधी चर्चा करते रहे। जिससे मेरे शोध को एक नई दिशा मिली।

रेखा तिवारी

भूमिका

आज उत्तर आधुनिकता और भूमंडलीकरण का युग है। इस समय ने वैश्विक स्तरपर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव किया है। भूमंडलीकरण संस्कृति ने प्रत्येक देश व व्यक्ति के लिए नयी आर्थिक व्यवस्था औद्योगिक अवसर व ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता के नए द्वार खोले हैं। लेकिन विडम्बना है कि आज स्त्रियों का एक बहुत बड़ा तबका है जिनका प्राचीन काल से लेकर वर्तमान का रास्ता अख्तियार करने के बाद भी संघर्ष का दायरा खत्म नहीं हुआ। इस शोध कार्य में हरियाणा की महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यव्यहारों तथा शोषण और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं की स्थिति का अध्ययन जिसका शीर्षक ''बढ़ती लैंगिक असमानता की स्थिति: स्त्री शोषण का नया रूप (विशेष संदर्भ: हरियाणा)'' किया गया है।

21वीं सदी के युग में भी वैश्विक स्तर पर महिलाएं तरह-तरह के घरेलू हिंसात्मक शोषण व मानसिक अत्याचारों की शिकार बनी हुई हैं। महिलाओं के साथ हो रही इस तरह की घरेलू हिंसा का फलक बहुव्यापक व भयावह ही नहीं बल्कि एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है।

आज हम 21वीं सदी के युग में जी रहे हैं। 65 वर्षों का समय बहुत लम्बा समय होता है और इस समय के अंतराल में विश्व के अन्य देशों ने अपना बहुमुखी सामाजिक विकास किया है। उस मंजिल से हमारा देश कोसों दूर है। और इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था है। आज के भूमंडलीकरण के युग में भी हमारी धारणाएं व मान्यताएं वही पुरातनपंथी व रूढ़िवादिता पर आधारित है। इस रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं।

प्राचीन समय से ही भारतीय सामाजिक संकल्पना में कथित तौर पर नारी का स्थान पूजनीय व सम्मानीय रहा है। मनु ने भी स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्येत, रमंयते तत्र देवता' अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। इसी तरह की मिथकीय परिकल्पना अर्द्धनारीश्वर की रही है, जिसमें स्त्री-पुरुष का बराबर सम्मानीय स्थान रहा है। लेकिन यह विडंबना का विषय है कि जैसे-जैसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ वैसे ही समाज में स्त्रियों के साथ हिंसा व शोषण का स्तर बढ़ा है। भारतीय समाज

पुरुष प्रधान रहा है और इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियां हमेशा से ही तरह-तरह के शोषण व अत्याचारों का शिकार रही हैं जिसका उल्लेख शोध प्रबंध में यथा-स्थान किया गया है।

प्राचीन समय से ही स्त्रियों को मात्र भोग-विलास की वस्तु समझा जाता रहा है। भारतीय समाज व्यवस्था के प्रारंभ से ही स्त्री-पुरुषों की निरंकुश मर्जी के तहत जीवन व्यतीत करती रही है। पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, अनमोल-विवाह तथा अशिक्षा, पुरुष-प्रधान समाज द्वारा स्त्रियों पर थोपे जाने वाला ऐसा अभिशाप है जो भारतीय समाज में स्त्री जीवन की दयनीय दशा व विडंबना का सबसे बड़ा कारण है। इन्हीं के कारण महिलाएं उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही हैं।

भारत में बढ़ती लैंगिक असमानता को केंद्र में रखकर इस शोध में हरियाणा का चयन इसलिए किया गया है कि वहां खाप पंचायत, ऑनर किलिंग, भ्रूण हत्याएं अधिक हो रही हैं। और राजस्थान व पंजाब में भी अधिक हो रही हैं। इसलिए राजस्थान व पंजाब का विवरण लेते हुए हरियाणा पर शोध किया जाएगा, कि क्यों और किस रूप में हरियाणा में लैंगिक असमानता बढ़ रही हैं। भ्रूण हत्या, ऑन किलिंग, खाप पंचायतों के तालिबानी फरमानों के चलते स्त्री के सामने एक नया संघर्ष इस राज्य में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य इस शोध में हम रेखांकित कर सकते हैं कि आज जब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस अति दुरत गति वाले जीवन में जी रहे हैं। यहां प्रतिक्षण बदलती सूचनाओं का एक संजाल है वहीं हम आज भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके कारण क्या हैं?

भारतीय कानून व्यवस्था के चलते ऐसे कौन से कारण और तथ्य हैं कि खाप पंचायतें इस राज्य में एक सक्रिय एजेंट की भूमिका निभाती है। और मीडिया उस स्त्री की छवि को रेखांकित करने में असमर्थ है जो ग्लैमर की इस दुनिया से परे हरियाणा जैसे राज्य में खाप पंचायतों के तालिबानी फरमानों का शिकार हो रही हैं।

पितृसत्ता के इस वर्चस्व के कारण बढ़ रहे भूरण हत्या के प्रतिशत और लैंगिक असमानता की जिम्मेदार इस पूरी व्यवस्था को केंद्र में रखते हुए हम इस शोध में उन तमाम तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं पत्र-पत्रिकाओं में छपी घटनाओं और इन सबके प्रति मीडिया की सक्रिय, निष्क्रिय भागीदारी को रेखांकित करेंगे और लैंगिक असमानता को कम करने, जागरूकता लाने में अथवा स्त्री के प्रति हो रहे इस शोषण

को कम करने में एन.जी.ओ. और राजनैतिक दलों के क्या भूमिका है, इसे हम इस शोध के एक अध्याय में प्रमुखता से रेखांकित करेंगे।

इस शोध का मूल उद्देश्य भारत में बढ़ती लैंगिक असमानता को रेखांकित करते हुए हरियाणा राज्य को केंद्र में रखते हुए एक ऐसा शोध करना है जो शोधार्थियों अथवा इस विषय संबंधी भविष्य में काम करने वाली संस्थाओं के लिए एक उपयोगी कार्य है।

शोध के दौरान 'तथ्य संकलन' करने से एक रूपरेखा हरियाणा की तात्कालिक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में भी सामने आती हैं। जिसमें हम इस समस्या की जिम्मेदार उन तमाम स्थितियां को रेखांकित कर सकते हैं और भविष्य के लिए सुझाव इस शोध के अंत में दिए गए हैं कि किस प्रकार हरियाणा में लैंगिक असमानता कम की जा सकती है।

इस शोध में हमने हरियाणा के साथ-साथ पंजाब व राजस्थान पर भी व्यापक दृष्टि डाली है, जिससे सीमावर्ती राज्यों के प्रभाव को जाना गया है।

शोध कार्य में हुई समस्याओं पर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तथ्यों व सामग्री की उपलब्धता की रही। 'घरेलू हिंसा' क्योंकि एक ऐसी घटना है जिससे संबंधित सूचनाएं बहुत कम मिलती हैं। बढ़ती लैंगिक असमानता के आंकड़े सरकारी संस्थानों के द्वारा किए गए सर्वे में नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में कुछ सर्वे रिपोर्ट इस शोध के लिए तलाशी गई एवं महत्वपूर्ण पुस्तक 'कहां खो गई बेटियां' (मनोहर अगनानी) रही। जिसमें लगभग बहुत से आंकडे मिले। और योजना पत्रिका के अंकों से भरपूर सहयोग मिला। इसके अलावा समय-समय पर अखबारों में छपे आलेख इस शोध में उपयोगी रहे।

शोध प्रविधि

इस शोध में हम विभाजित अध्यायों के अनुसार अध्ययन करते हुए यह तलाशने का प्रयास करेंगे कि आज जब शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में भारत ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए विश्व के नक्शे पर अपने लिये स्थान बनाया है, तब क्या कारण हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था अपने क्रूर रूप में आज भी विद्यमान है, हाल ही में हुई कुछ राष्ट्रीय घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में आरुषि हत्याकांड़, बिहार में हुए दलित लड़की के बलात्कार व खाप पंचायतों का निर्णय कि मोबाईलफोन लड़कियों को न दिये जायें और 14 साल की उम्र में उनका विवाह कर

दिया जाये जैसे निर्णय सुनाये गये तो नेता भी चुप थे। भारत में डायन प्रथा आज भी विद्यमान है जिसका इतिहास जुए में औरतों को हारने का रहा है जहां लम्बे समय तक बहु-विवाह का प्रचलन रहा है। वहां बढ़ रही लैंगिक असमानता पर आश्चर्य नहीं होता। हमने इस शोध में यही देखने का प्रयास कि क्यों आज 'कन्या भ्रूण हत्या' का ग्राफ बढ़ रहा है? सरकार इसके प्रति कैसे चिंतित है? और क्या प्रयास कर रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि हमने इस शोध में इस राज्य को ही क्यों लिया है जबिक लैंगिक असमानता तो पूरे भारत में विध्यमान है। इसका उत्तर यह है कि क्योंकि हरियाणा राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था में कृषि आधारित है।

शोध सामग्री प्राप्त करने के लिये संबंधित पुस्तकों का अध्याय किया गया।

- लैंगिक असमानता संबंधी किये गये सर्वे की रिपोर्ट्स प्राप्त की गई।
- हरियाणा में भ्रमण करते हुए अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया।
- तुलनात्मक प्रविधि का प्रयोग करते हुए भारत के अन्य राज्यों में लैंगिक असमानता के आंकड़ों की तुलना की गयी।
- आलोचना प्रविधि का प्रयोग करते हुए प्राप्त तथ्यों की आलोचना की गयी जिसमें हाल फिलहाल में हुई स्त्री शोषण की घटनाओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा तथ्यों की प्रमाणिकता के लिए हाल फिलहाल में अखबारों में प्रकाशित समाचारों को भी इसमें लिया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए गुणात्मक परिणात्मक, विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार और अवलोकन शोध प्रविधि को अपनाया गया है। यह शोधकार्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में केवल हरियाणा राज्य में ''बढ़ती लैंगिक असमानता' को देखते हुए किया गया है। इस अध्ययन का क्षेत्र केवल हरियाणा राज्य है।

उपसंहार

लैंगिक असमानता का एक कारण हम परिवारों के छोटे होते आकार के रुप में भी देख सकते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया, परिवारों का उदय, महानगरों में कम पड़ती रहने की जगहें। ऐसे समय में हर आदमी एक पुत्र और एक पुत्री चाहता है। भारत में यह देखने को मिलता है कि अधिकतर परिवारों में एक लड़का और एक लड़की है। जिसमें बच्चे दो ही अच्छे के जुमले पर काम करने वाली सरकारी योजनाएं भी संतुष्ट हैं। अब क्योंकि लड़की की परवरिश ही इस तरह से की जाती है कि उसे घर के कामकाज के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है। 1990 के बाद तीव्र गति से बदले भारत में लिंगानुपात एक समस्या है। इसमे कोई दोराय नहीं है। और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे समय में बहुत कम परिवार ऐसे हैं जहाँ दो लड़कियां हैं, और लड़का नही है। ऐसे में हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के संदर्भ में बात करें तो वहाँ लगभग सभी परिवारों में एक लड़का एक लड़की है। अब हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे पूरी योजनाबद्ध नीतियां काम कर रही हैं। जिसमें यदि पहला बच्चा लड़की है तो दूसरे बच्चे के रुप में केवल लड़का ही जन्म लेगा, यह तय है, क्योंकि इस दौरान के तमाम कन्या भ्रूणो को नष्ट कर दिया जाता है। जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य में होने वाली निरंतर गिरावट का अंदाजा हम लगा सकते हैं। और बढ़ती मातृ-मृत्यु दर के आंकड़ों को भी इसमें जोड़ सकते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सबसे पहले तो इसी मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि पुत्र प्राप्ति अनिवार्य है,क्योंकि उसके बिना तमाम धार्मिक कृत्य नहीं हो पाएंगे। दूसरा इस असुरक्षित मानस से लड़ना होगा कि, 'लड़कियां पराया धन होती हैं'। और क्योंकि उन्हें जीवन भर नारकीय जीवन जीना पड़ता है इसलिए उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं अब क्योंकि स्त्री-पुरुष अनुपात में गिरावट का एक कारण दहेज प्रथा भी है। क्योंकि लड़की के पैदा होने पर उसकी शादी में होने वाले खर्च से इधर पंजाब व हरियाणा के कई किसानों को अपनी जमीने तक बेचनी पड़ती है या कर्ज लेकर दहेज देने के कारण वे जीवन भर उस कर्ज से उभर नहीं पाते, दिखावटी जीवन शैली और शादियों पर होने वाले अनावश्यक खर्च भी इसका एक कारण हैं। हाल ही के कुछ वर्षो में पंजाब व उनके सीमावर्ती क्षेत्रों जिनमें हरियाणा व राजस्थान

भी आते है, विदेशों में प्रवास के चलते यह दहेज प्रथा बढ़ी ही है। एन.आर.आई. लड़के से शादी करने की लालसा के कारण एक बड़ी समस्या है कि लड़का अगर विदेश में है तो 10-12 लाख तो आम दहेज है। ऐसे में अब क्योंकि स्थितियों में बदलाव के चलते लड़यिां अपनी शिक्षा के बदल पर भी विदेश गई हैं। जिसमें दहेज प्रथा कहीं-कहीं टूटी भी है। अतः हरियाणा व पंजाब की यह एक बड़ी समस्या है जिसमें सकारात्मक/नकारात्मक दोनों तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं।

उपाय

बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा दिए जाने से भी इस मानसिकता से निजात मिल सकती हैं यदि बेटा नहीं होगा तो बुढ़ापे में मां-बाप की देखभाल कौन करेगा। ऐसे में राज्य सरकार व केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है। कि ऐसी योजनाएं लागू करे जिससे लड़कियों को इसलिए बोझ न समझा जाए कि वे बुढापे की लाठी नहीं बन सकतीं।

महिलाओं के हितों मे रक्षार्थ सुझाव

महिलाओं के सुरक्षित हित एवं समाज मे समान भागीदारी के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं उन पर यदि अमल किया जाए तो जहां महिलाओं के प्रति किए जा रहे अपराध दर में कमी आएगी वहीं दूसरी ओर समाज में उनके हितों का भी संरक्षण किया जा सकेगा। सुझाव निम्न हैंः विवाह का अनिवार्य पंजीयन किया जाए, महिलाओं के प्रति की जा रही क्रुरता की परिभाषा को व्यापक किया जाए, भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की दोषपूर्ण परिभाषा संशोधित की जाए महिलाओं के प्रति किए जा रहे यौन उत्पीड़न की परिभाषा की परिधि बढ़ाते हुए इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोकन में संशोधित किया जाए। महिलाओं को संसद एंव विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया जाए, शिक्षा पर बराबर पहुंचेके सिद्धांत पर व्यावहारिक अमल किया जाए. महिलाओं एवं लड़कियों के विकास के लिए निवेश की व्यवस्था की जाए, महिलाओं के ख़िलाफ घरेलू हिंसा रोकने के लिए संबंधित कानूनों का प्रभाव क्रियान्वन किया जाए तथा साथ स्त्री-पुरुष समानता और सहस्रब्दिक विकास कार्यक्रम पर अंमल किया जाए।

महिलाओं के हितों की रक्षा और कानूनों की जानकारी अब बेहद जरुरी हो गई है। कई महिलाएं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं हैं, वे हिंसा का शिकार होती हैं, कुछ महिलाएं जीवन भर अपने पति की मार खाती हैं, और अपने अधिकारो

के प्रति बिल्कुल भी जागरुक नहीं है कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्हें उन सब बातों की जानकारी दी जानी चाहिए, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी सामाजिक जागरुकता फैलाई जा सकती है। क्योंकि खेत-खलियानों में काम करने वाली व मजदूर स्त्री की समस्याएं नौकरी पेशा व शहरों में रहने वाली स्त्रियों से भिन्न हैं। उनके साथ होने वाली घटनाएं, शहरी स्त्रियों के साथ होने वाली घटनाओं से अलग हैं। अतः सबसे पहले सरकारी और गैरसरकारी संगठनों द्वारा जो भी प्रयास किए जाएं वह उस क्षेत्र विशेष की स्त्रियों को ध्यान में रखकर किए जाएं। सरकार की अनेक योजनाएं फेल हो जाती हैं क्यांकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में परंपराएं, रीति-रिवाज, धार्मिक-कर्मकांडो नाम पर स्त्रीयों पर जो नियमावली लाद दी गई है, वे उस नियमावली से जुड़ गई हैं, 'अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे', समाज क्या कहेगा' ऐसे मे कानून के दायरे में ये सब बातें शामिल करना बेहद जरुरी है, यहां घरेलू उत्पीड़न की शिकार स्त्री के मनोविज्ञान को समझने की पूरी व्यवस्था हो, कई बार बलात्कृत लड़कियां केवल इसलिए चुप्प रहती है कि समाज में उनसे शादी कौन करेगा? इस मानसिकता को यहां समझना बेहद जरुरी है।

बलात्कार, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग को रोकने के कुछ सुझाबों पर यहां चर्चा करेंगे।

निम्न घटनाओं संबंधी नियमों- कानूनों को लागू किया जाऐ।

- महिलाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाऐ- ताकि ऐसे केसों की सुनवाई में विलंब ना हो।
- महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं, उत्पीड़न को व्याख्यायित करने वाली परिभाषाओं को विस्तृत किया जाऐ। जैसे छेड़छाड़ भरना, गाली देना, अथवा अन्य अश्लील हरकतम के लिए भी कड़ी सजा दी जाऐ।
- खासकर हरियाणा में पुलिस में महिलाओं की नियुक्तियां अधिक की जाऐं।
- लड़कियों को खेल-कूद के अधिक अवसर दिए जाए।
- विद्यालयी शिक्षा में एक ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाऐ जिसमे बच्चियां कम उम्र में अपने क्षेत्र विशेष अथवा देश में होने वाली स्त्री -हिंसा को जान-समझ सकें,उन्हें कानूनों की जानकारी दी जाए।

- दलित स्त्री की समस्याएं चूंकि स्वर्ण स्त्री की समस्याओं से आज भी अलग हैं अतः सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा दलित स्त्री की समस्याओं के लिए अलग से कानून की मांग व कानून लागू करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।
- हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्रों में होने वाली ऑनर किलिंग के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए, और खाप पंचायतों को बंद किया जाए, किसी भी मुद्दे पर सरकारी हस्तक्षेप के प्रति जागरुक किया जाए।
- इन पूरे मामलों में लिप्त राजनैतिक संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, क्योंकि ऐसा देखने मे आया है कि खुले आम होने वाली 'ऑनर किलिंग' के खिलाफ मे सांसद चुप हैं, ऐसे में उन्हें चुनाव में खड़े होने का अधिकार न दिया जाए।
- हाल ही में हरियाणा के एक सांसद ने एक टिप्पणी दी थी कि 'बलात्कार इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं' ऐसी मानसिकता के खिलाफ लड़ने की आज बेहद जरुरत है। खाप पंचायतों के स्त्री-विरोधी फरमानों के चलते हरियाणा में व्याप्त महिलाओं की चुप्पी को तोड़ने के लिए ऐस राजनितीज्ञों के साथ कानूनी कार्यवाही की जाए।
- ऑनर किलिंग के कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि हरियाणा के 'जाट बाहुल' क्षेत्रों में 'जाट' नहीं चाहते कि उनकी, लड़कियां 'दूसरी जाति' के लड़के से प्रेम विवाह करें, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को वे इज्जत के साथ जोड़कर देखेते हैं।

लैंगिक असमानता व हिंसा के कारणों को रेखांकित करते हुए हम कुछ सर्वव्यापी भारतीय तथ्यों पर बात कर सकते हैं। जो भारत के प्रत्येक राज्य की सामान्य समस्याओं के तहत जाने जा सकते हैं। जैसे हरियाणा में क्योंकि 'जाट' परिवार हैं जहां दिल्ली का सीमावर्ती प्रदेश, हरियाणा में भी कम अपराध नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में क्योंकि महिला शिक्षा प्रतिशत अधिक है, वहां स्त्रीयां साक्षर हैं। और कामकाजी हैं फिर भी वहां के घटनाएं रुक नहीं गई हैं, दिल्ली तो अपराधों का गढ है मेट्रो ट्रेनें हों या नगर निगम की या लोकल बस कहीं भी छेड़छाड़ की घटनाएं आम हैं, इसके पीछे का कारण 'स्त्रीयों को एक फिगर' के तहत देखना है। यहां 'स्त्री केवल सेक्स सिंबल है ! पिछ़ले कई वर्षों से स्त्री देह को सौंदर्य के जिन प्रतिमानों में

बांधकर देखा जाता है। जहां फिल्म, टी.बी. में उसके लिए 'जीरो फिगर' का कंसेप्ट हावी हो। वहां हम उस निर्लज्जता की कल्पना कर सकते हैं, जो आम तौर पर स्त्री विरोधी तमाम घटनाक्रमों में दिखाई देती है।

एक कारण स्त्री की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता भी है। हरियाणा के कुछ पिछड़े इलाकों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यहां स्त्री शिक्षा को आज भी अहमियत नहीं दी जाती वहां ऐसी मानसिकता आम बात है! स्त्री क्योंकि हमेशा से घर परिवार में सिमटी रही। उसे अपनी सामान्य जरुरतों के लिए भी स्त्री स्वावलम्बी नहंी है, और पैसे के लिए पुरुष है पर निर्भर है, तो कई तरह की हिंसा इसी के चलते होती है। और गोत्र का हावी होना संकुचित सोच का परिणाम है, जिसे हम आज 21 वीं सदी हम आज विकास के जिस दौर में जी रहे है, वहां ऐसी संकीर्ण मानसिकता के साथ नहंी जिया जा सकता। अतः स्त्री शिक्षा का प्रतिशत बढाना होगा। भारत में स्त्रियों में सारक्षता का प्रतिशत बढ़ाना होगा। भारत में स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 54.16 है। तथा पुरुषों 75.85 है। शिक्षा के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं हैं अतः महिला साक्षरता पर ध्यान दिया जाऐ व ऐसी योजनाएं लागू की जाऐ जिसमें बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाऐ।

म्हिलाओं के प्रति विद्वेष को खत्म करने के लिए हरियाणा में नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया जाए। क्योंकि नुक्कड़ नाटक अधिक संम्प्रेषणीय होते हैं और अनपढ़,पढ़ी लिखी, किसी भी वर्ग स्तर के लोगों पर आसानी से प्रभाव छोड़ते हैं।

सामाजिक कुप्रथाओं को जड़ से खत्म करना होगा। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या बलात्कार आदि के खिलाफ जनता को एकजुट होना पड़ेगा।

पारिवारिक तनावों का असर बच्चों पर अधिक होता है जिससे सामाजिक बुराइयां पनपती हैं। खासकर हरियाणा, राजस्थान पंजाब में बढ़ रहे शराब के प्रचलन के कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं पर हिंसा की घटनाऐ लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। महाराष्ट्र में शराब के खिलाफ महिलाओं ने समय-समय पर अनेक आंदोलन किए जिसके चलते इन क्षेत्रों में वैसी घटनाएं नहीं होती जैसी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में होती है। महाराष्ट्र में क्योंकि लम्बे समय तक 'दलित मूवमेंट' चला जिसके कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरुक है, वैसे महाराष्ट्र में भी लिंगानूपात में भारी अंतर दिखाई देता है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधी प्रवृत्तियों को अंजाम देने वाले पुरुषों के मनोविज्ञान को समझते हुए उन्हें उचित चिकित्सा दी जानी चाहिए। इसके अलावा महिला न्यायालयों की स्थापना हरियाणा में करना बेहद जरुरी है जिससे खाप पंचायतों के प्रभाव को कम किया जा सके क्योंकि स्त्री के प्रति हुई हिंसा को वह महिला न्यायालय में निसंकोच बयान कर सकेगी। खासकर तब जब हरियाणा में ऑनर किलिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

महिलाओं को कानूनी सहायता दी जाए। उन्हें समय समय पर कानून की विस्तृत जानकारी दी जाए। महिला संगठनों का निर्माण किया जाए, खासकर हरियाणा, राजस्थान व पंजाब में सबसे उचित तो यह होगा कि वैचारिक परिवर्तन लाया जाए और महिला हिंसा के पीछे सक्रिय मानोविज्ञान को उजागर करते हुए आंकड़ो को सार्वजनिक किया जाऐ। और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने लाई जाएं उन्हें इज्जत के साथ जोड़कर न देखा जाऐ। स्त्रियों को एकजुट होकर सामने आना चाहिए ताकि सरकारी नियम कानून भी लागू होने मे कठिनाई न हो। सामाजिक कलंक के डर से स्त्रीयों की चुप्प नहीं बैठना चाहिए। जैसे ही इन सब नियमों-कानूनों को लागू कर दिया जाऐगा। लैंगिक असमानता से निपटने में आसानी होगी क्योंकि इन तमाम घटनाओं के चलते ही 'कन्या भ्रूण हत्या' की जाती है। जिससे लिंगानुपात में भारी गिरावट आती है।

जहां हम 'ए नेशन विदाउट विमन' फिल्म का जिक्र कर सकते हैं, जहां स्त्रीयों की कम संख्या के चलते एक लड़की पूरे परिवार के पुरुष सदस्यों की हवस का शिकार होती है। अगर, लिंगानुपात की यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत 'ए नेशन विदाउट विमन' स्थिति में आ जाऐगा।

अतः इस शोध में हमने हरियाणा को केन्द्र में रखते हुए पूरे भारत मे व्याप्त लैंगिक असमानता विषय पर विस्तृत चर्चा की।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

- नीलम कुलश्रेष्ठ, जीवन की तनी डोरः ये स्त्रियां, मेधा बुक्स दिल्ली, संस्करण, 2006
- युगांक धीर, स्त्री और पराधीनता, मुंबई संवाद प्रकाशन, संस्करण, 2008
- मोती लाल गुप्ता, भारत में समाज जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, संस्करण- 2003
- मोहनलाल गुप्ता, जयपुर संभाग का जिलेवार संस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, जयपुर, राजस्थानी गन्थगार, संस्करण, 2009
- राजकिशोर, हिंसा की सभ्यता,नयी दिल्ली वाणी प्रकाशन संस्करण, 2008
- राजकिशोर मानव अधिकारों का संघर्ष, नयी दिल्ली वाणी प्रकाशन, संस्कारण, 1995
- ललिता, दफ्तर बेटियाँ जम्मेदार कौन? स्त्री भूरण गर्भपातों की दास्ताँ, अनुवाद-इन्दिरा पंचोली, प्रकाशन-महिला जागृति, कर्नाटक महिला जनअधिकारी समीति, राजस्थान, प्रथम संस्करण! अक्टूबर 005
- डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव, लेख-कन्या भूरण हत्या के चलते विषय होते लिंगानुपात का विवरण
- डॉ. मंजू गुप्ता, डॉ. सुभाष चंन्द्र गुप्ता, भूरण -हत्या और महिलाये
- राम अहुजा, 1987, महिलाओं के प्रति अपराधा, रावत पब्लिकशन, जयपुर
- प्रो. कमला प्रसाद, राजेन्द्र शर्मा, स्त्रीः मुक्ति का सपना, अतिथि संपादक-अरविंद जैन, लीलाधर मंडलोई, प्रकाशक-वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण- 2004, द्वितीय आवृत्ति संस्करण- 2009
- अमर्त्य सेन, विषमताःएक पुनर्विवेन अनुवादनरेश 'नदीम' प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, पटना इलाहबाद पहला संस्करण- 1999, दूसरी आवृत्ति:2008
- वृंदा करात, भारतीय नारीः संघर्ष और मुक्ति, अनुवादक-उषा चौहान, प्रकाशक-ग्रंथशिल्पी प्रथम संस्करण 2008
- रमा शर्मा, एम.के. मिश्रा, भारतीय समाज में नारी का अवधारणात्मक स्वरुप प्रकाशक- अर्जुन पब्लिकेशिंग हाऊस प्रथम संस्करण, 2010

- मन्मनाथ गुप्त, स्त्री-पुरुष सम्बन्धों का रोमांचकारी इतिहास, प्रकाशक वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्कारण‘ः 2005
- क्षमा शर्मा, स्त्री का समय, प्रकाशन- मेधा बुक्स नवीन शाहदरा दिल्ली- 110032, द्वितीय संस्करण 2001
- राकेश कुमार, नारीवादी विमर्श, प्रकाशन-आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड पंचकूला (हरियाणा), संस्करण- 2011
- राजकिशोर, स्त्रीत्व का उत्सव, प्रकाशक- वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली-110002, प्रथम संस्करण-2003
- डॉ. मनोहर अगनानी, कहाँ मनोहर अगनानी, कहाँ खो गई बेटियाँ, अनुवादक-एस. के. सक्सेना, प्रकाशन-वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली, संस्करण-प्रथम 2007
- मेरी वोल्सट क्राफ्ट, स्त्री-अधिकारों का औचित्य- साधारण अनुवाद-मीनाक्षी, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन प्रा.लि. नयी दिल्ली-110002, संस्करण-2003
- फ्रेडरिक एंगेल्स, परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति प्रकाशक-प्रगति प्रकाशन, संस्करन, संस्करण-पहला 1974, दूसरा 1986।
- सुमन कृष्णकांत, इक्कीसवीं सदी की ओर, संपादन, सहयोग, शीला झुनझुनवाला, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. नयी दिल्ली, पहला संस्करण-2001
- सुभाष शर्मा, भारतीय महिलाओं की दशा, प्रकाशक-आधार प्रकाशन पंचकूला (हरियाणा) प्रायवेट लिमिटेड, प्रथमसंस्करण-2006
- मीना देवल, सुषमा गमरे, पावसाने झोडपले, सेहत प्रकाशन, मुंबई, 2005
- स्त्री गर्जना, महिला हिंसा विरोधी समिती की पत्रिका, अंक प्रथम, सितम्बर, 2006
- देवसरे विभा, घरेलू हिंसा वैश्विक संदर्भ, आर्य प्रकाशन, मंडल, दिल्ली संस्करण 2009
- डॉ. नन्दकिशोर आचार्य, मानवाधिकार के तकाजे, वाग्देवी प्रकाशन, बिकानेर।
- मनीषा, हम सभ्य औरतें, सामायिक प्रकाशन, बीकानेर।
- गौतम, रमेश प्रसाद, मानवाधिकार: विविध आयाम, विश्वविद्यालय प्रकाशन, सागर, मं.प्र. 2003
- डॉ. मनाक्षी स्वामी, महिलाओं के मानव अधिकार और पुलिस की भूमिका, श्रीया प्रकाशन, इंदौर

पत्र-पत्रिकाएँ

- योजना
- स्मकालीन जनमत
- कुरुक्षेत्र
- उद्भावना
- फ्रंन्टलाइन
- इन्टरनेट द्वारा
- शुक्रवार समाचार साप्ताहिक- 14 मार्च 2013 रविवार